मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्र.सी 6–2–2015–3–एक   भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषयः– **एक वर्ष से अधिक समय तक निलम्बित शासकीय सेवकों के मामलों की समीक्षा।**

संदर्भः– **इस विभाग का परिपत्र क सी–6–2–2013–3–एक, दिनांक 28.01.2013**

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र दिनांक 28.01.2013 द्वारा एक वर्ष से अधिक समय तक निलम्बित शासकीय सेवकों के मामलों की समीक्षा किये जाने हेतु शासन/राज्य प्रशासनिक स्तर/संभाग एवं जिला स्तर की समितियों का गठन किया गया। कतिपय विभागों द्वारा यह स्पष्टीकरण चाहा गया कि क्या भ्रष्टाचार/आपराधिक प्रकरणों में चालान प्रस्तुत होने पर निलम्बित किये गये शासकीय सेवकों के मामलों पर भी उक्त समिति विचार कर सकेगी।

2– सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 28.01.2013 की कण्डिका 9(iii) में स्पष्ट किया गया है कि आपराधिक मामलों में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के अधीन किया गया निलम्बन से बहाली के सम्बन्ध में निर्णय राज्य शासन द्वारा ही लिया जा सकेगा।

3– उपरोक्त सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि नियम 9(1) के प्रथम परन्तुक के अधीन किये गये निलम्बन के मामलों में भी उपरोक्त परिपत्र की कण्डिका 9(iii) लागू होगी। अर्थात् आपराधिक मामलों में यदि चालान प्रस्तुति के पश्चात् न्यायालय में विलम्ब हो रहा है तथा

......2

ऐसा विलम्ब आरोपी के कारण नही हो तो उक्त समितियों की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा गुण–दोष के आधार पर बहाली का निर्णय लिया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम.के. वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक सी 6–2–2015–3–एक — भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2015

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल,
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल,
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल,
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/ अभिलेख/पुस्तकालय,
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश,
18. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल।

अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग